पक्षकारों एवं आ... आदि के हस्त...

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा मध्यप्रदेश

Rs.20/-

R-2790-II/14

रामयश तनय बाल्मीक प्रसाद द्विवेदी निवासी भटिगंवा तहसील कोटर जिला सतना मध्यप्रदेश ....निगराकार

बनाम

1. रमाकान्त पिता जगदीश प्रसाद ब्रा0 सा0 भटिगंवा तह0 कोटर
2. शासन मध्यप्रदेश ....गैरनिगराकारान

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

निगरानी विरूद्ध निर्णय श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत्त बिहरा तहसील कोटर जिला सतना मध्यप्रदेश के प्रकरण कमांक 52अ12 /13–14 में पारित आदेश दिनांक 14.6.14

...रविनन्दन सिंह ...द्वारा आज 011-8-14 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

21-8-14

मान्यवर,

निगराकार निम्नानुसार निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर विनयी हैः–

प्रकरण के तथ्य

यह कि आराजी नं. 150 एवं 151 प्रार्थी निगराकार की आबादी भूमि है, जिसमें अर्सा दराज पूर्व से आवेदक का मकान कोलिया निस्तार कायम है और निगराकार उक्त बने मकान मे सपरिवार निवासरत है। गैरनिगराकार कं.1 रमाकान्त पिता जगदीश प्रसाद ब्रा0 सा0 भटिगंवा तहसील कोटर जिला सतना मध्यप्रदेश के द्वारा उपरोक्त आराजियातों का बंटनवारा प्रार्थी निगराकार की गैर जानकारी मे चोरी चोरी तहसील न्यायालय से करा लिया गया, जिसकी जानकारी होने पर निगराकार द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील रामपुर बाघेलान के समक्ष उक्त बंटवारा प्रकरण

रामयश द्विवेदी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.2790–II / 2014 जिला–सतना

रामयश / रमाकान्त

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रविनंदन सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त बिहरा, तह0 कोटर, के प्रकरण क्रमांक 52 / अ–12 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	